भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2498
(22 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा में ऐप आधारित उपस्थिति का प्रभाव

2498. श्री एस. कल्याणसुन्दरमः
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्लाः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनरेगा श्रमिकों के लिए ऐप-आधारित उपस्थिति प्रणाली का अनिवार्य उपयोग करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मनरेगा श्रमिकों , विशेष रूप से महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में , खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी , कोई तकनीकी सहायता ना होने इत्यादि का सामना करना पड़ा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मनरेगा श्रमिकों के लिए एप-आधारित अनिवार्य उपस्थिति महिला श्रमिकों द्वारा काम को बीच में छोड़ देने का एक कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 1 जनवरी, 2023 से सभी कार्यों (वैयक्तिक लाभार्थी कार्य को छोड़कर) के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर जियो-टैग किए गए फोटोग्राफ सहित उपस्थिति दर्ज करने का निर्णय लिया है। इससे भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के अतिरिक्त योजना के नागरिकों द्वारा निरीक्षण में वृद्धि होती है।

कार्यस्थल पर्यवेक्षक एनएमएमएस ऐप के माध्यम से कामगारों के जियो-टैग किए गए फोटोग्राफ सहित उपस्थिति दर्ज करने के लिए जिम्मेदार हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। विगत तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 (09.03.2023 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना में महिलाओं की भागीदारी की दर (कुल में से महिला श्रम दिवस प्रतिशत में) निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
महिला भागीदारी दर (%)	54.78	53.19	54.81	57.14

***